15.12.2025

राज्य द्वारा श्री प्रमोद कुमार पाण्डे ए.जी.पी. उपस्थित।

अभियुक्त मनोज कुमार, अंचल शर्मा, विकास जोतवानी, हनुमान विश्वकर्मा, अंकित राज, ऋषि यादव, दीपक रजक सहित श्री आयुष शिवहरे अधिवक्ता उपस्थित।

शेष अभियुक्तगण अनुपस्थित, उनकी ओर से अधिवक्ता श्री आयुष शिवहरे ने उपस्थित होकर हाजिरी माफी आवेदन पेश

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

किया, जो बाद विचार स्वीकृत।

प्रकरण अभियुक्त परीक्षण एवं जमानत प्रस्तुति/आई.ए.नं. 1/25 पर आदेश हेतु नियत है।

इस आदेश द्वारा आवेदक सोनिया सनपाल द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र वास्ते–पासपोर्ट नवीनीकरण हेतु अनुमति बाबत् आई.ए.नं.1/25 का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदक सोनिया सनपाल द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आई.ए.नं.1/25 संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक को पुलिस थाना लार्डगंज, जिला जबलपुर में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 120बी, 467, 468 और जुआ अधिनियम की धारा 4–क के तहत अपराध कमांक–356/22 में आरोपी बनाया गया है, जो उक्त प्रकरण न्यायालय के समक्ष लंबित है। आवेदक ने जिला एंव सत्र न्यायालय, जबलपुर में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कमांक 3458/24 किया था, जिसमें छठे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जबलपुर ने दिनांक 09.12.2024 के आदेश द्वारा इसे स्वीकार कर आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया गया था। उक्त जमानत आदेश के अनुपालन में, आवेदक को जे.एम.एफ.सी. न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना, जमानत बांड प्रस्तुत करना और कार्यवाही में भाग लेना आवश्यक था, लेकिन आवेदक उपस्थित नहीं हो सकी, क्योंकि वह विदेश में थी और इस बीच, उसका पासपोर्ट समाप्त हो गया, जिससे वह भारत की यात्रा करने में असमर्थ हो गई। आवेदक ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय/संबंधित पासपोर्ट प्राधिकरण को अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था, जो यह कहते हुए लौटा दिया गया कि आवेदक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही लंबित है और पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए संबंधित न्यायालय से पूर्व अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है। उसकी अनुपस्थिति के कारण न्यायालय ने आवेदक को फरार घोषित कर दिया। आवेदक का कभी भी विधि प्रिक्रिया से बचने का कोई इरादा नहीं था और वह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत होने और लगाई जा सकने वाली सभी शर्तो का पालन करने तैयार है। आवेदक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना, आवश्यक बांड और जमानतदार प्रस्तुत करना और मामले की योग्यता के आधार पर पैरवी करना

Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . .of 20 . . . . . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

चाहती है, जिसके लिए वैध पासपोर्ट का नवीनीकरण आवश्यक है, ताकि वह भारत वापस यात्रा कर करे।

आवेदक सोनिया सनपाल द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आई.ए.नं.1/25 आगे इस प्रकार है कि आपराधिक मामलों में लंबित व्यक्तियों को पासपोर्ट जारी करने संबंधी लागू अधिसूचनाओं और निर्देशों के अनुसार पासपोर्ट प्राधिकरण को ऐसे मामलों में पासपोर्ट के नवीनीकरण से पहले संबंधित आपराधिक न्यायालय से अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। आवेदक यह वचन देता है कि वह पासपोर्ट का दुरूपयोग नहीं करेगा और न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का भी दुरूपयोग नहीं करेगा, जिसके तहत वह कानून के अनुसार सभी पासपोर्ट प्रपत्रों और घोषणाओं में वर्तमान आपराधिक मामले की लंबितता का खुलासा करेगा। वह सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जबकि कि उसे छूट न दी गई हो और अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं करेगा। वह अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेडछाड नहीं करेगा और न ही किसी भी प्रकार से गवाहों को प्रभावित करेगा। यदि पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं किया जाता है और आवेदक वापस आकर मुकदमे का सामना करने में असमर्थ होती है तो उसे गंभीर कठिनाई होगी। अतः अपराध कमांक–356/22 (सत्र प्रकरण क0–197/2023 मध्यप्रदेश राज्य बनाम अमित शर्मा और अन्य) के लंबित होने के बावजूद, सक्षम पासपोर्ट प्राधिकारी द्वारा आवेदक के पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए अनुमति/अनापत्ति प्रदान करने और उक्त प्राधिकारी नियमों के अनुसार पासपोर्ट की प्रकिया और नवीनीकरण करने का निर्देश दिये जाने का निवेदन किया गया।

अभियोजन की ओर से उक्त आवेदन पत्र का लिखित जबाव ना देना व्यक्त करते हुये मौखिक विरोध किया गया।

उभयपक्ष द्वारा विगत् दिनांक को किये गये तर्को के प्रकाश में प्रकरण का अवलोकन किया गया, प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि उक्त प्रकरण में

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

आवेदक/अभियुक्त सोनिया सनपाल के विरूद्ध उसकी अनुपस्थिति में थाना लार्डगंज के अपराध क0–356/22 धारा 420, 120बी, 467, 468 भा.द.सं. तथा धारा 4(क) सार्वजनिक धुत अधिनियम के तहत पूरक अभियोग पत्र दिनांक 09.09.2024 को प्रस्तुत किया गया था। आवेदक/अभियुक्त सोनिया सनपाल को उक्त प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2024 को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया था। प्रकरण का अवलोकन करने से यह भी दर्शित होता है कि उक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 24.01.2025 के द्वारा आवेदक/अभियुक्त सोनिया सनपाल की ओर से पासपोर्ट नवीनीकरण के लिये कोर्ट से अनुमति की आवश्यकता नहीं होना व्यक्त करते हुये आवेदक पत्र निरस्त कर दिया गया था। प्रकरण के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि आवेदक/अभियुक्त सोनिया सनपाल के पासपोर्ट के नवीनीकरण न होने के कारण वह अग्रिम जमानत प्राप्त करने के उपरांत भी विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकी और दिनांक 29.08.2025 को उसके विरूद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया और शेष अभियुक्तगण का प्रकरण आगामी दिनांक को उपार्पित कर सत्र न्यायालय विचारण हेतु प्रेषित कर दिया गया। इस प्रकार उक्त प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त सोनिया सनपाल के पासपोर्ट के नवीनीकरण न होने के कारण वह अग्रिम जमानत प्राप्त करने के उपरांत भी उक्त कार्यवाही में भाग लेने हेतु उपस्थित नहीं हो पाई है। इस संबंध में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत बनाये गये पासपोर्ट नियम 1980 रूल के अनुसार जब किसी व्यक्ति के विरूद्ध क्रिमिनल केस लंबित हो, तब संबंधित न्यायालय की अनुमति से पासपोर्ट का नवीनीकरण किया जा सकता है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **मेनका गांधी विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया (1978) 1 एससीसी 248** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विदेश यात्रा को आर्टिकल 21 के तहत पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा माना है तथा पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा–6(2)(एफ) को वैध माना गया है और क्रिमिनल केस पेडिंग होने पर संबंधित न्यायालय की अनुज्ञा की शर्त को संवैधानिक माना गया है। इस संबंध में आवेदक के द्वारा भी न्याय दृष्टांत **रिचा जौहरी ओझा वि0 सेन्ट्रल ब्यूरो**

Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . .of 20 . . . . . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	ऑफ इंवेस्टीगेशन डब्ल्यू.पी.नं0–18701/2024 प्रस्तुत किया है। उक्त न्याय दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति के विरूद्ध क्रिमिनल केस लंबित होने की दशा में संबंधित विचारण न्यायालय से वह पासपोर्ट के नवीनीकरण हेतु अनुमति प्राप्त कर सकता है और ऐसी अनुमति प्राप्त होने पर ही पासपोर्ट का नवीनीकरण किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त सोनिया सनपाल उक्त आवेदन पत्र के अनुसार अग्रिम जमानत का आदेश पारित होने के समय विदेश में थी तथा उक्त प्रकरण में वह इस कारण से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकी है, क्योंकि उसके पासपोर्ट का नवीनीकरण उक्त आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण नहीं हो सका है, चूंकि उक्त प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त सोनिया सनपाल वर्तमान में विदेश में है और पासपोर्ट के नवीनीकरण न होने के कारण वह उक्त प्रकरण में उपस्थित नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्त सोनिया सनपाल के पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुमति दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्त सोनिया सनपाल के पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाती है। आवेदक/अभियुक्त सोनिया सनपाल के द्वारा पासपोर्ट अथार्टी के समक्ष पासपोर्ट के नवीनीकरण हेतु कार्यवाही किये जाने पर उसके विरूद्ध लंबित उक्त मामले के आधार पर नवीनीकरण की कार्यवाही न रोकी जाये और पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अनुसार आवेदक/अभियुक्त सोनिया सनपाल का पासपोर्ट नियमानुसार नवीनीकृत किया जाये। तदानुसार उक्त आवेदन पत्र का निराकरण किया जाता है। प्रकरण अभियुक्त परीक्षण एवं जमानत प्रस्तुति हेतु थोड़ी देर बाद पेश हो। **(विपिन सिंह भदौरिया)** **षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश,** **जबलपुर (म.प्र.)** VIPIN SINGH BHADORIYA Digitally signed by VIPIN SINGH BHADORIYA Date: 2025.12.15 11:11:37 +0530	